भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1372

दिनांक 09 फरवरी, 2024 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी केंद्रों का अवसंरचनात्मक विकास

1372. श्री विनोद लखमशी चावड़ा:

क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी किः

(क) क्या पोषण अभियान के अंतर्गत समुदाय आधारित समाधान का विकास, अंतर-विभागीय अभिसरण और रियल टाइम डेटा निगरानी प्रणाली का पुनरुद्धार करके आंगनवाड़ी केन्द्रों की अवसंरचना और पहुंच में सुधार किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) से (ग):15वें वित्त आयोग में, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों,गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली मां, किशोरियों (14-18 वर्ष) के लिए पोषण संबंधी सहायता के घटक; प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा [3-6 वर्ष]; मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के तहत आधुनिक, उन्नत सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण अभियान और किशोरियों के लिए योजना सहित आंगनवाड़ी बुनियादी ढांचे को पुनर्गठित किया गया है।

मिशन पोषण 2.0 पंचायती राज संस्थानों/ग्राम संगठनों/एसएचजी/स्वयंसेवकों आदि की भागीदारी के माध्यम से पोषण में सुधार के एजेंडे को जन आंदोलन में परिवर्तित करने और व्यापक

सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। मिशन का समग्र उद्देश्य छोटे बच्चों, किशोरियों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं, पति, पिता, सास और समुदाय के सदस्यों सहित परिवार के सदस्यों, स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं (एएनएम, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता) के बीच महत्वपूर्ण पोषण व्यवहारों के बारे में पोषण संबंधी जागरूकता और जवाबदेही बढ़ाना है। राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तरों पर पोषण के प्रति गति पैदा करने के लिए, प्रत्येक राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र इन आयोजनों के दौरान विभिन्न गतिविधियों को क्रियान्वित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आंगनवाड़ी केंद्रों में आयोजित समुदाय आधारित कार्यक्रमों (सीबीई) ने पोषण प्रथाओं को बदलने में एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में कार्य किया है। सीबीई गर्भवती महिलाओं और दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों के जीवन में महत्वपूर्ण उपलब्धियों का जश्न मनाने और आहार में विविधता के साथ उपयुक्त पूरक आहार सुनिश्चित करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ सही समय पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रसारित करने में मदद करता है। अब तक लगभग 3.70 करोड़ समुदाय आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र नियमित आधार पर आईईसी कार्यकलाप कर रहे हैं। सामुदायिक संघटन और जागरूकता एडोकेसी के प्रमुख कार्यकलापों में से एक है जिसके परिणामस्वरूप जन आंदोलन पोषण संबंधी पहलुओं के बारे में लोगों को शिक्षित करता है। महत्वपूर्ण विषयों के इर्द-गिर्द क्षेत्रीय भाषाओं में वीडियो, पैम्फलेट, फ्लायर आदि के रूप में आईईसी सामग्री भी विकसित की गई है। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और अन्य स्टेकहोल्डरों के अभिसरण में समुदाय आधारित कार्यक्रमों, पोषण माह और पोषण पखवाड़ा के आयोजन के माध्यम से सामाजिक और व्यवहारिक परिवर्तन किए गए हैं। अब तक, क्रमशः सितंबर और मार्च-अप्रैल के महीनों में मनाए गए 11 पोषण माह और पोषण पखवाड़े के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 90 करोड़ से अधिक संवेदीकरण गतिविधियों की सूचना है।

आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण वितरण सहायता प्रणालियों को मजबूत करने और पारदर्शिता लाने के लिए आईटी प्रणालियों का लाभ उठाया गया है। 'पोषण ट्रैकर' एप्लिकेशन को 1 मार्च, 2021 को एक महत्वपूर्ण शासन उपकरण के रूप में शुरू किया गया था। पोषण ट्रैकर परिभाषित संकेतकों पर सभी आंगनवाड़ी केंद्रों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और लाभार्थियों की निगरानी और ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है। पोषण ट्रैकर के तहत प्रौद्योगिकी का लाभ बच्चों के बीच ठिगानापन, दुबलापन, कम वजन की व्यापकता की गतिशील पहचान के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा, पोषण 2.0 के तहत, पहली बार, एक डिजिटल क्रांति की शुरुआत हुई जब आंगनवाड़ी केंद्रों को मोबाइल उपकरणों से लैस किया गया।

मिशन के अंतर्गत, विशेषकर गर्भाधारण से बाल-जन्म के पहले 1000 दिनों के दौरान 18 से अधिक मंत्रालयों/विभागों के उच्च प्रभाव वाले कार्यकलापों का मानचित्रण किया गया है। प्रत्येक अभिसारी मंत्रालय/विभाग पोषण से संबंधित कार्य योजना तैयार करता है और इसे अपने चल रहे कार्यकलापों के साथ एकीकृत करता है। इसके अलावा, आयुष मंत्रालय के साथ भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, और पंचायती राज्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्यएवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय आदि के साथ संयुक्त दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा, पौष्टिक पेड़ लगाने के लिए खाद्य वानिकी शुरू करने के लिए एमओईएफ एवं सीसी और आयुष मंत्रालय के साथ अभिसरण में प्रयास किए जा रहे हैं।

15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान, प्रति वर्ष 40,000 आंगनवाड़ी केंद्रों की दर से 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ियों के रूप में उन्नत किया जाना है ताकि उन्नत पोषण वितरण और बाल्यावस्था देखभाल और विकास किया जा सके। सक्षम आंगनवाड़ियों को पारंपरिक आंगनवाड़ी केंद्रों की तुलना में बेहतर बुनियादी ढांचा प्रदान किया जा रहा है, जिसमें एलईडी स्क्रीन, वाटर प्यूरीफायर/आरओ मशीन की स्थापना और जहां भी संभव हो, स्मार्ट लर्निंग उपकरण, इंटरनेट / वाई-फाई कनेक्टिविटी से लैस होना शामिल है। वित्त वर्ष 2022-23 में सक्षम आंगनवाड़ियों के रूप में उन्नयन के लिए कुल 41192 आंगनवाड़ी केंद्रों को मंजूरी दी गई है और वित्त वर्ष 2023-24 में 40300 आंगनवाड़ी केंद्रों को उन्नयन के लिए मंजूरी दी गई है

सरकार ने सभी लघु आंगनवाड़ी केंद्रों को एक पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्र में अद्यतित करने का भी निर्णय लिया है, जिसमें एक कार्यकर्त्रि और एक सहायक होगा, ताकि सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा से संबंधित जिम्मेदारियों सहित विभिन्न जिम्मेदारियों को पूरा करने में मदद मिल सके। 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संस्वीकृत 1,16,852 लघु आंगनवाड़ी केंद्रों में से अब तक 14 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 56514 लघु आंगनवाड़ी केंद्रों के उन्नयन की संस्वीकृति जारी की गई है।

इसके अतिरिक्त, पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रतिवर्ष 10000 आंगनवाड़ी केन्द्र की दर से 50,000 आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण का प्रावधान है। मनरेगा के अनुरूप आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लागत मानकों को प्रति आंगनवाड़ी केंद्र 7 लाख रुपये से संशोधित करके प्रति आंगनवाड़ी केंद्र 12 लाख रुपये कर दिया गया है, जिसमें मनरेगा के तहत 8.00 लाख रुपये, 15वें वित्त आयोग (अथवा कोई अन्य अबद्ध निधि) के तहत 2.00 लाख रुपये तथा प्रत्येक

आंगनवाड़ी केंद्र के लिए 2.00 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे जिन्हें निर्धारित लागत भागीदारी अनुपात में केन्द्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बांटा जाएगा। इसके अतिरिक्त, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह भी सलाह दी गई है कि वे विभिन्न स्कीमों जैसे एमपीलैड्स, आरआईडीएफ, पंचायती राज संस्थाओं को वित्त आयोग अनुदान, एनआरईजीए, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के एमएसडीपी आदि से आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण हेतु निधियों का उपयोग जारी रखें।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के माध्यम से वाश प्रथाओं को बढ़ावा देने और पेयजल और स्वच्छता की पहुंच पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, शौचालय के लिए अनुमोदित इकाई लागत को अब 12000 रूपए प्रति आंगनवाड़ी केंद्र को संशोधित करके 36000 रूपए कर दिया गया है। पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराने की लागत को भी 10000 रूपए से संशोधित करके 17000 रूपए कर दिया गया है।

******